[illegible]

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी- पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 28/2021 सीसीएमएस नम्बर - 2021/73

1. भोलाराम पुत्र स्व. रामेश्वर जाति नाई निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
2. सत्यवीर पुत्र स्व. रामेश्वर जाति नाई निवासी सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
3. रति पत्नी स्व. महीपाल
4. संजय पुत्र स्व. महीपाल
5. कमलकुमार पुत्र स्व. महीपाल
6. मंजुबाला पुत्री स्व. महीपाल समस्त जाति नाई निवासीगण सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
7. संतोष पुत्री स्व. रामेश्वर
8. राजबाला पुत्री स्व. रामेश्वर
9. बिमला पुत्री स्व. रामेश्वर समस्त जाति नाई निवासीगण सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

..........वादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बनाम

1. सरती पत्नी स्व. जगमाल
2. सुमित्रा पुत्री स्व. जगमाल
3. चन्द्रकला पत्नी स्व. बिरजलाल
4. विनयकुमार पुत्र स्व. बिरजलाल
5. संदीपकुमार पुत्र स्व. बिरजलाल
6. अनिता पुत्री स्व. जगमाल
7. सत्यपाल पुत्र स्व. जगमाल
8. धर्मपाल पुत्र स्व. जगमाल समस्त जाति नाई निवासीगण सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय [illegible] तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.11.04 16:16:04 IST
Reason: SelfAttested

.........प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–::निर्णय::–

दिनांक :– 24.09.2025

(1). वादीया ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

1. यह कि वाके ग्राम सुलताना अहिरान पटवार हल्का सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार खाता सं0 204 के खसरा न.0 326 रकबा 1.47 है0, खसरा न0 449 रकबा 0.42 है0, खसरा न0 588 रकबा 0.76 है0, खसरा न0 623 रकबा 0.20 है0, खसरा न0 785/595 रकबा 0.25 है0, खसरा न0 908/342 रकबा 0.15 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.25 है0 के खातेदार कास्तकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 हे जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का राजस्व रिकार्ड नही बना है बाकि उनका हिस्सा बराबर बराबर है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 एक हि परिवार के सदस्य है जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है।
2. यह कि वाके ग्राम सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार खाता सं0 204 के खसरा न.0 326 रकबा 1.47 है0, खसरा न0 449 रकबा 0.42 है0, खसरा न0 588 रकबा 0.76 है0, खसरा न0 623 रकबा 0.20 है0, खसरा न0 785/595 रकबा 0.25 है0, खसरा न0 908/342 रकबा 0.15 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.25 है0 में वादीगण का हिस्सा व कब्जा अनुसार खाता विभाजन कर अलग से प्रत्येक खाता कायम कर अलग से प्रत्येक लगान कायम कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेया देने की कृपा करें।

3. कि दावा खाता विभाजन पक्ष वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर अन्य अनुतोष जो वादीगण के पक्ष की हो और भूलवश रह गई हो वह वादीगण को दिलाया जाने के आदेश देने की कृपा करे।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है [illegible] यायाल वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक [illegible] को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु [illegible] पत्रांक 403 दिनांक 19.07.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के [illegible]क 1298 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.11.04 16:16:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके ग्राम सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार खाता संख्या 204 के खसरा नम्बर 326 रकबा 1.47 है0, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 785/595 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 908/342 रकबा 0.15 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.25 है0 में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–9" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक --------- को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.11.04 16:16:04 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी — पूनम मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 98/2021 — सी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/73

मोहनराम आदि बनाम रामसरी आदि

दावा खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी**, **बुहाना** के समक्ष अंतिम निस्तारण के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया है। वादी ग्राम सुलताना अहिरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू स्थित हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के अनुसार खाता संख्या 204 के खसरा नम्बर 326 रकबा 1.47 है0, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.75 है0, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 785/595 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 908/342 रकबा 0.15 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.26 है0 में वादीगण का खाता एवं जमाव विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाया है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-9" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-9" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पत्रावली डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.11.04 16:16:04 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू